वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार हुए प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(for linear projects) Government of Uttarakhand Office of the District Collector - Almora

10---

Dated --- 15 4 15

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter 9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidence ing initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and ditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest posed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 when are EF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 3.844 hectares of forest posed to be diverted in favour of Rural Development Department Uttarakhand / Executive Engin GSY Division, P.W.D. Salt (Almora) (name of user agency) for Construction of Deghat-Lalnagari Moles d (purpose for diversion of forest land) in Almora district falls within jurisdiction of Lalnagari village dev tehsil.

further certified that:

The complete process for identification and settlement of rights under the (a) has been carried out for the entire 3.844 hectares of forest area proposed for diversion. A records of all consolations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annu-.....to...annexure....

The diversion of forest land for facilities managed by the Government as require b) under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given consent to it;

The proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups

Pre-agricultural communities Photo copy attested

As above.

:)

(Full name and official seal of the District Co

वक्त (बन्नीका)

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER DISTRICT - ALMORA (U.K.)

proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Vinod Kumar Suman, I.A.S., deputy commissioner, Almora on dated 15-04-15 at time IIm.I.M. at in which application claiming rights in Jourashi range / area measuring 3.844 Hec. for the Construction of Deghat Lalnagari Motor Road (13.65 Km) forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Salt sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committees recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Altonora Dated: 15 4 15

Deputy Commissioner-cum-Chairman

District Level Committee

खिला समाज फल्याण विवकारी

usului

Photo copy attested

नियान सम्ब को निवित महर (सक्सीका)

Preting their establishment 7- JH(31)

अशिकारि । भेडेररान्ता

प्रधानमंत्री गाम सड़क योजना के अन्तर्गत न्याय पंचायत लालनगरी को संयोजित करने हेतु प्रस्तावित मोटर मार्ग के समरेखन का दिनांक 'ऽ।।ऽ को संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण में अधोहस्ताक्षरी के साथ निम्न अधिकारी/कर्मचारी/जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

1 श्री सारायण सिंह नवियाल

उपजिलाधिकारी स्याल्दे।

2. 别 (a) (b) (q) (m) 3

3 श्री निर्शापट रिकार राजस्य निरीक्षक । W

तहसीलदार स्याल्दे।

4. श्री आर0पी0 पाण्डेय सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 सल्ट।

5. श्री नवीन चन्द्र टम्टा अपर सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड लो०नि०वि० सस्ट

6. श्री भारी जन्दी देवी ग्राम प्रधान

उक्त उपस्थित अधिकारियों / विभागीय अधिकारियों व कर्मचारिकों एवं ग्रामीणों के स्मर्थ ग्राम लालनगरी को संयोजित किये जाने हेतु प्रस्तावित देघाट-लालनगरी मोटेर मार्ग की संयुक्त निरक्षिण किया गया विभाग द्वारा इस स्थल के अतिरिक्त अन्य समरेखन तकनीकी एवं व्यवहारिक रुप से अनुपयुक्त होना कहा गया। निरीक्षण स्थल पर लगभग 1.3.. काश्तकारों की कुल लगभग 876 है। भूमि श्रेणी 1 (क) संक्रमणी अधिकार की आ रही है। काश्तकारों से जानकारी लेने पर ... काश्तकारों व उनके परिवा द्वारा अपनी उक्त भूमि सड़क निर्माण हेतु विभाग को देने की सहमति प्रदान की है। इस समरेखन अतिरिक्त पी०एम०जी०एस०वाई० योजना के अन्तर्गत लालनगरी गांव को लाभ मिलेगा। संयुक्त टीम द्वारा यह समरेखन उपयुक्त पाया गया।

कार्यालय उप मजिस्ट्रेट स्याल्दे

पत्र सख्या

दिनांक

प्रतिलिपि जिलाधिकारी महोदय अल्मोड़ा को सादर सूचनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो०नि०वि० सल्ट को ,सूचनार्थ प्रेषित।

Photo copy attested

जनपद्दे पडीत्नी जा

11.00

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :- जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड सल्ट में प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजना में देघाट-लालनगरी मोटर मार्ग का नव निर्माण। अधिकार अधिनियम 2006

प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नामः लालनारी जिला अल्मोडा।

तहसील स्याल्दे

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद अल्मोड़ा उत्तराखण्ड में देघाट-चिन्तोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.844 है0 भूमि निर्माण खण्ड लो०नि०वि० सल्ट/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में जालनगरी में दिनांक 08-01-2 की सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई, यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधान के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि का कार्य नही है। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि मे किसी भी आदिवासी / गैरआदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्पलगत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा 青1

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्व सम्मति से निर्माण किया गया है/ प्रस्ताव पारित किया गया है कि ग्राम लालनगरी के ग्रामवासियों को उक्त वनभूमि लो०नि०वि० सल्ट प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने का कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

स्रिध्ययत बोहरागाँव लिंठ वन पंचायत लाव वि० ख० स्याल्दे (**

लठ्ठ वन पंचायत लालनगरी

वि० ख० स्याल्दे (अल्मोड़ा

Photo copy attested

प्रधान



प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम :— जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड स्याल्दे में प्रधानमंत्री गाम सडक योजना के अन्तर्गत देघाट—लालनगरी मोटर मार्ग का नव निर्माण।

कार्यालय उपजिलाधिकारी स्याल्दे अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति

उपखण्ड स्याल्दे परिक्षेत्र के अन्तर्गत 3.844 हैं0 वन भूमि का, निर्माण खण्ड लो०नि०वि० सल्ट (अल्मोड़ा) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवार (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उप खण्ड स्तरीय समिति तहसील स्याल्य को दिनांक .08 ... सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण '-

1. श्री नारायणसिंह नवियाल

2. श्री वी के सिंह

3. श्री दलीप सिंह निष्

4. 89 -4-4-1214

उपजिलाधिकारी स्याल्दे जनपद -अल्मोडा

उप प्रभागीय वनाधिकारी रानीखेत।

सहायक समाज कंल्याण अधिकारी स्याल्दे।

बी०सी०सी० क्षेत्र लालनाती सदस्य।

डपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमित से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई है। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया है कि जनपत



्रामंद्रा ने विश्वास्त्रविश्वस्त्राई० परिन्ता के अन्तर्गत देखाट-सामनगरी मोटर मार्ग विश्वहरूत 3844 है० वन भूमि प्रवाबना एवंग्मी के वस में हरणानतिस विश्वे जान हुए प्रस्तव प्रवासित स्वासित करियो जान हुए प्रस्तव प्रवासित स्वासित हिंदी जान हुए प्रस्तव प्रवासित स्वासित स्वासित हिंदी जान हुए प्रस्तव प्रवासित स्वासित स्वासित है। प्राप्त समा के अन्तर्गत का मार्च मानस व्यक्तित जा है। प्राप्त स्वासित से पाणित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनित व्यवहरूत हुए प्रवासित

विद्याल उप प्रभागीय बनाधिकारी रानीखंत द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य वर्णनागत वल तिवाल (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियत 2006 एवं तत्सन्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्वष्ट कर हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी व वावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सम्मा/पंचायत व अनापतित जारी की जा युकी है। अत प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वनं अधिकार समिति द्वारा अनापता जारी की जा सकती है।

वैठक में, सर्वसम्मति से उपखण्ड हिम्में प्रसित्र के अन्तर्गत जनपद अल्गोड़ा प्रीठएमठजीठएसठवाई० के अन्तर्गत देघाट-लालनगरी मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 3.844 विमाण स्वण्ड लीठनिठिक सल्ट प्रयोकता एजेन्सी को जनहित में सक्षान प्राधिकारी से अनुमा प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की मधी।

Photo copy attestul

प्रतिलिप जिल्हानेक पिकारोदय अल्मोडा को सूचनार्ध एवं आयस्यक कार्यवाही हेतु प्रापत। क्षिमीय वर्ष को विकास

MANUEL PROPERTY THIRD LAND CHIME & Lat Stell MINING माना मार्टिन महार माना माना कार्टानाह का महत्व है बालना भिक्ष मिली तक त्राहित का मारा मारा मारा मिली कर्म किसी कर समार की अपनि नहीं है शिकालिंट. S. Harry Protocopy attested Mag Dayour